राष्ट्रीय बाल भवन
( शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान )
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

National Bal Bhavan
(An Autonomous Institution under Ministry of Education, Department of School Education & Literacy, Govt of India)
Kotla Road, New Delhi-110002

Tel : 23237856, 23236570, 23232672 Fax : 23231158

स्पीड पोस्ट

एफ सं. 18 /रा.बा.भ./स्टोर/टेंडर(कैंटीन)/2022 दिनांक : 02.09.2022

सेवा में,

**विषय :– राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में कैंटीन स्थल के स्वोच्च किराये और न्यूनतम रेट पर खादय पदार्थ उपलब्ध कराने के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए कैंटीन चलाने हेतु मुहरबन्द सीमित निविदायें/टेंडर आमन्त्रित करना।**

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में कैंटीन स्थल के स्वोच्च किराये और न्यूनतम रेट पर खादय पदार्थ उपलब्ध कराने के आधार पर एक वर्ष हेतु कैंटीन चलाने के अनुबंध हेतु मुहरबन्द सीमित निविदायें/टेंडर आमन्त्रित किये जाते हैं, जिसके लिए यहाँ निम्नलिखित दस्तावेजों सहित से टेंडर/निविदा का सम्पूर्ण सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय बाल भवन में कैंटीन चलाने के लिए टेंडर/ निविदा दस्तावेज | (i) **अनुलग्नक–I** : राष्ट्रीय बाल भवन में कैंटीन चलाने के लिए टेंडर/निविदा के प्रतिबंध/नियम एवं शर्ते<br>(iii) **अनुलग्नक –II** : टेंडर फॉर्म<br>(iv)**अनुलग्नक –III** : कैंटीन स्थल/स्थान के मासिक किराये एवं खादय पदार्थो के रेट उद्धत करने का प्रोफार्मा | टेंडर/निविदा जमा करने की अन्तिम व समय<br>17.09.2022 अपराहन 02:00 बजे तक मेन गेट पर रखे बॉक्स में | टेंडर/निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान<br>17.09.2022 अपराहन 03:00 बजे सम्मेलन कक्ष में |

2. अतः आपसे अनुरोध है कि आप ऊपर वर्णित सभी योग्यता मानदंडों, और सभी नियम, प्रतिबंध एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अपना टेंडर/निविदा जमा करें। यह सुनिश्चित कर लें कि टेंडर खुलने के समय फर्म के स्वामी को स्वयं अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपने स्वामी से अपने हस्ताक्षर सत्यापित कराते हुए मूल पत्र के साथ ऊपर उल्लिखित निर्धारित तिथि व समय पर तकनीकी बिड खोले जाने के निर्धारित पर समय उपस्थित होना चाहिए।

भवदीय,

मुकेश गुप्ता

(मुकेश गुप्ता)
उप निदेशक (प्रशासन)

अनुलग्नक : उपरोक्त

# राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में कैंटीन चलाने के लिए अनुबंध का टेंडर

लिफाफाबंद टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 17.09.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक है।

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002

## राष्ट्रीय बाल भवन में कैंटीन चलाने के लिए अनुबंध का टेंडर

राष्ट्रीय बाल भवन में स्टाफ, बच्चों और आगंतुकों को कैंटीन एवं कैटरिंग सेवायें उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत कैंटीन ठेंकेदारों से एक वर्ष की अवधि के लिए लिमिटेड सील्ड टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं। टेंडर दस्तावेज रा.ब.भ. की वेबसाईट–www.nationalbalbhavan.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। रू.10,000/–की बयाना राशि/ई.एम.डी के साथ सील्ड टेंडर जिसे लिफाफे पर बडे अक्षरों में "राष्ट्रीय बाल भवन में कैंटीन चलाने के लिए अनुबंध का टेंडर" लिखा हो, राष्ट्रीय बाल भवन के मुख्य द्वारा पर रखें टेंडर बॉक्स में कार्य दिवसों, साप्ताहिक व राजपत्रित अवकाश के दिनों में डाल सकते हैं। इस बारे में सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित हैः–

| टेंडर बॉक्स में सील्ड टेंडर डालने की अंतिम तिथि एवं समय तथा भुगतान की विधि | रा.बा.भ. के सम्मेलन कक्ष में सील्ड टेंडर खोलने की तिथि एवं समय |
|---|---|
| दिनांक 12.10.2018 को दोपहर 02.00 बजे तक | दिनांक 12.10.2018 को दोपहर 02.30 बजे |
| एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के द्वारा की जमा की जाने वाली बयाना राशि/ई.एम.डी | एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के सफल बोलीदाता द्वारा जमा की जाने वाली |
| रू.10,000/–(रूपये दस हजार केवल) कृपया निर्धारित कॉलम में ऑन–लाईन लेन–देन की संदर्भ संख्या/विवरण लिखें | रू.25,000/–(रूपये पच्चीस हजार केवल) |
| राष्ट्रीय बाल भवन को एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के द्वारा की जमा किये जाने हेतु राष्ट्रीय बाल भवन के बैंक का विवरण | केनरा बैंक, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002<br>(आई.एफ.एस.सी. कोड–सीएनआरबी0000158)<br>बैंक एकाउंट नम्बर : 0158101019047 |

देय/अंतिम तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त हुई टेंडरों/निविदाओं को किसी भी स्थिति में स्वीकार नही किया जाएगा। टेंडर/निविदाये सीलबन्द लिफाफों में ही जमा की जाये जिस पर बडे अक्षरों में **"राष्ट्रीय बाल भवन में कैंटीन चलाने के लिए अनुबंध का टेंडर"** लिखा होना चाहिए। निविदा खुलने की निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर निविदादाता/ फर्म के स्वामी/प्रबंध निदेशक/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता स्वयं अथवा उसका हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र धारक अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद रह सकता है। रा.बा.भ. को यह अधिकार है कि वह कोई कारण बताये बिना किसी अथवा सभी निविदाओं को रद्द कर दे।

निदेशक, रा.बा.भ.

## अनुलग्नक –I

# राष्ट्रीय बाल भवन में कैंटीन चलाने के लिए अनुबंध के टेंडर के लिए प्रतिबंध एवं शर्तें

1. राष्ट्रीय बाल भवन(रा.बा.भ.), नई दिल्ली परिसर में स्टाफ, बच्चों और आगंतुकों को कैंटीन एवं कैटरिंग सेवायें उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत कैंटीन ठेंकेदारों से एक वर्ष की अवधि के लिए लिमिटेड सील्ड टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं। सफल बोलीदाता को राष्ट्रीय बाल भवन में कैंटीन चलाने के लिए प्रत्येक महीने एडवांस में किराया देना होगा और बिजली का किराया महीने के अंत में मीटर रीडिंग के अनुसार देना होगा। कैंटीन के लिए पानी निशुल्क दिया जायेगा। **इच्छुक कैंटीन ठेंकेदारों से अनुरोध है कि वे टेंडर जमा करने से पहले किसी भी कार्य दिवस(मंगलवार से शनिवार तक) में कार्यालयी समय में कैंटिन स्थल** देख लें।

2. **सफल बोलीदाता चुनने की विधि** : बोलीदाता द्वारा कैटींन के लिए उद्धत किये गये सर्वोच्च मासिक किराये की राशि और खाद्य सामग्री के लिए उद्धत किये गये न्यूनतम रेट्स के आधार पर सफल बोलीदाता चुना जायेगा।

3. राष्ट्रीय बाल भवन में कैंटीन चलाने का अनुबंध अवार्ड पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक होगा जिसे उपलब्ध कराई गई अच्छी कैंटीन सेवाओं को देखते हुये सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

4. **बयाना/ई.एम.डी राशि** : टेंडर के साथ 10,000/–(रूपये दस हजार केवल) बयाना/ई.एम.डी राशि रा.बा.भ. के बैंक एकाउंट में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के द्वारा जमा करानी होगी और टेंडर के सम्बन्धित फॉर्म के निर्धारित कॉलम में ऑन–लाइन लेन–देन की संदर्भ संख्या/विवरण लिखना होगी। यह राशि असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।

5. **प्रतिभूति जमा/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी** : सफल बोलीदाता को अवार्ड पत्र मिलने के सात दिन के अंदर रू. 25,000/–(रूपये पच्चीस हजार केवल) की जमानत राशि/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रा.बा.भ. के बैंक एकाउंट में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के द्वारा जमा करानी होगी। कैंटीन ठेंकेदार राष्ट्रीय बाल भवन की सम्पत्ति के नुकसान होने, किराये और बिजली के बिल की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर राशि जमानत राशि/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से वसूली जायेगी। साथ ही किसी भी प्रतिबंध व शर्त का पालन नहीं करने और इस कारण कैंटीन अनुबंध रद्द/समाप्त करने पर रा.बा.भ. के पास जमा पूरी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. **किराये और बिजली के बिल का भुगतान व जुर्माना** : कैंटीन स्थल के किराये का भुगतान प्रत्येक महिने की पहली तारीख को **एडवांस में** करना होगा और बिजली के बिल की राशि का भुगतान प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को करना होगा अन्यथा उपर्युक्त दोनो में से किसी भी बिल की राशि का भुगतान समय पर और अधिकतम एक सप्ताह(सात दिन) तक न होने पर **रू.50/– प्रतिदिन के आधार पर जुर्माने** की राशि का भुगतान अलग से करना पड़ेगा। सभी भुगतान रा.बा.भ. के बैंक एकाउंट में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के द्वारा की जमा की जायेगा और उसका संदर्भ विवरण कैशियर को देकर उसकी रसीद जारी करवानी होगी और रसीद की प्रति सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को रेकॉर्ड हेतु देनी होगी।

7. कैंटीन ठेंकेदार को राष्ट्रीय बाल भवन का अवार्ड पत्र मिलने के सात दिन के अंदर या दिये गये निर्देशानुसार कैंटिन शुरू करनी होगी। कैंटीन ठेंकेदार को कैंटिन प्रतिदिन सभी कार्यदिवसों में प्रातः 09.00 बजे से 05.30 बजे तक और सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार खोलनी होगी।

8. टेंडर में सभी खाद्य सामग्रियों के लिये दिये जाने वाले रेट बिना शर्त स्वीकार किये जायेंगे और यह रेट सभी टेक्स सहित हों। पैकिंग खाद्य सामग्री केवल अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए और वर्तमान प्रचलित एम.आर.पी.जो पैकेट पर प्रिट होगा, पर उपलब्ध कराई जायेगी। किसी भी प्रतिबंध व शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा और प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

9. **प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री** : कैंटीन ठेकेदार को प्रतिदिन चाय, कॉफी, समोसा, सभी तरह के पकौड़े व सैंडविच, इडली व दोसा साम्भर सहित, टोमेटो सूप, मट्ठी, पैटीज,बर्गर और एक मिठाई(जो प्रतिदिन बदली जायेगी) उपलब्ध करानी होगी। नाश्ते, लंच/थाली एवं अन्य खाद्य सामग्री भी समय–समय पर उपयुक्त तरीके से

प्रतिदिन या की गई मांग के आधार पर बदली जायेगी। कैंटीन में उपयुक्त साईज की रेट लिस्ट और प्रतिदिन के खाने का मैन्यू रा.बा.भ. द्वारा अनुमोदित रेट, वजन व साईज के अनुसार लगा होना चाहिए। कैंटीन ठेंकेदार को स्वास्थ्यकर ताजे खाद्य पदार्थ ही देने होंगे और कैंटीन परिसर की नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित करनी होगी।

10. कैंटीन ठेंकेदार को सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों का ध्यान रखते हुये खाद्य सामग्रियों को धूल, मक्खी, मच्छर, कीड़ों से बचाने के लिए ग्लास कवर शो केस की व्यवस्था करनी होगी और कैंटीन के अंदर (किचन सहित) व बाहर की साफ–सफाई और आस–पास स्वास्थ्यकर वातावरण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी । कैंटीन के कूड़े के सुरक्षित व स्वास्थ्यकर रूप से निपटान की पूरी एकमात्र जिम्मेदारी कैंटीन ठेंकेदार की होगी। इसके लिए रा.बा.भ. का कोई कर्मचारी नहीं लगाया जायेगा।

11. राष्ट्रीय बाल भवन कैंटिन के सामान की चोरी या कम बिक्री इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कैंटीन ठेंकेदार को अपने सामान की सुरक्षा, आगजनी से बचने और सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारणों के द्वारा निर्धारित नियम व विनियमों के अनुपालन में आवश्यक सावधानी/पूर्वोपाय सुनिश्चित करने होंगे।

12. कैंटीन ठेंकेदार साफ, सुरक्षित, ताजी और स्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री रा.बा.भ. द्वारा निर्धारित मापदण्ड/स्पैसिफिकेशन के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा। कैंटीन ठेंकेदार केवल राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा अनुमोदित की गई खाद्य सामग्री बेचेगा और उपलब्ध करायेगा । अन्य अस्वीकृत खाद्य पदार्थों को तैयार करने, बेचने व उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन ठेंकेदार रा.बा.भ. के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

13. कैटीन द्वारा तैयार किये जाने वाले खाद्य सामग्री के निरंतर अस्वास्थ्यकर व असंतोषजनक पाये जाने पर या कैंटीन ठेंकेदार अनुबंध के किसी भी प्रतिबंध व शर्त का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में किसी भी समय अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और रा.बा.भ. जमा की गई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि जब्त करेगा और अनुबंध पुनः देने की कार्यवाई करेगा।

14. राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा गठित कमेटी या इसका कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि कैंटिन द्वारा तैयार की गई खाद्य सामग्री और उसके सैम्पल का किसी भी समय निरीक्षण करेगा और खाद्य सामग्री के अस्वास्थ्यकर पाये जाने पर उसकी बिक्री व सप्लाई तुरन्त बिना किसी मुआवजे/प्रतिपूर्ति के रोक दी जायेगी। इसके लिए कैंटीन ठेंकेदार जिम्मेदार होगा और वह ही इसका नुकसान वहन करेगा। कैंटीन ठेंकेदार को कमेटी की मांग पर खाद्य सामग्री का सैम्पल निशुल्क देना होगा।

15. राष्ट्रीय बाल भवन और कैंटीन ठेंकेदार के मध्य उत्पन्न किसी भी मतभेद व विवाद को आपसी सहमति से या दिल्ली के न्यायालयों के न्यायाधिकार में भारतीय कानून के अनुसार अनुबंध की अवधि में सुलझाया जायेगा।

16. लाईसेंस फीस के भुगतान या दिल्ली नगर निगम की फिटनेस आवश्यकताओं इत्यादि के मामले में राष्ट्रीय बाल भवन के प्राधिकारी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। केवल कैंटीन ठेंकेदार रा.बा.भ. में कैंटीन चालने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित लाईसेंस फीस इत्यादि के भुगतान एवं आवश्यक हैल्थ/फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने और एम.सी.डी. एवं अन्य प्राधिकरणों के नियम–विनियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी सरकारी प्राधिकरण/एजेंसी के द्वारा कैंटीन का निरीक्षण करने एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण एवं अस्वास्थ्यकर सामग्री पाये जाने पर किसी भी जुर्माने इत्यादि के भुगतान के लिए कैंटीन ठेंकेदार जिम्मेदार होगा ।

17. कैंटीन ठेंकेदार को कैंटीन स्वयं संचालित करनी होगी। किसी भी स्थिति में कैंटीन ठेंकेदार को कैंटीन का अनुबंध व कैंटीन किराये या पार्टनरशिप पर नहीं देनी चाहिए अन्यथा ऐसा पाये जाने पर तुरन्त अनुबंध समाप्त करके रा.बा.भ.में जमा पूरी जमानत राशि/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।

18. कैंटीन ठेंकेदार को कैंटीन के लिए अपने रसोई/किचन उपकरण जैसे स्वच्छ कॉक्री, बर्तन, गैस सिलेंडर एवं कच्चे खाद्य पदार्थ जो कि ताजे, अच्छी गुणवता वाले और हर समय स्वास्थ्यकर स्थिति में होने चाहिए, का प्रबन्ध स्वयं करना होगा। किसी भी स्थिति में बासे/पुराने अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

19. राष्ट्रीय बाल भवन कैंटीन के किसी सामान की चोरी/नष्ट होने, किसी दुर्घटना या कैंटींन स्टाफ के किसी नुकसान/चोट इत्यादि के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा। कैंटीन ठेकेदार एवं स्टाफ सुरक्षा के अपने प्रबन्ध एंव पूर्वोपाय स्वयं करें। आग से सम्बन्धित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ठेकेदार को अच्छी क्वालिटी व कम्पनी का फायर एक्टीग्विशर लगवाना होगा।

20. कैंटीन से राष्ट्रीय बाल भवन के कमरों/अनुभागों में खाद्य पदार्थों की सप्लाई व सर्विस के लिए कैंटीन ठेंकेदार को अपना स्टाफ उपलब्ध करना होगा और रूम सर्विस भी उपलब्ध करानी होगी। परन्तु कैंटीन ठेंकेदार को 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे/बाल मजदूर को कैंटीन में रखने की अनुमति नहीं होगी। कैंटीन में रखा जाने वाला स्टाफ पूर्णतः स्वस्थ और किसी भी बीमारी से रहित व सरकारी अस्पताल से मेडिकली फिट घोषित होना चाहिए।

21. कैंटीन स्टाफ के किसी भी प्रकार के दुराचार, अवज्ञा एवं अनुशासनहीनता के लिए कैंटीन ठेंकेदार जिम्मेदार होगा और उस पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार कार्यवाई की जायेगी। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय का पालन कैंटीन ठेंकेदार को करना होगा। कैंटीन ठेंकेदार व कैंटीन स्टाफ के किसी भी वेतन या नुकसान इत्यादि के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। कैंटीन स्टाफ को रात में राष्ट्रीय बाल भवन में रूकने की अनुमति नहीं होगी।

22. कैंटीन ठेंकेदार को कार्यालयी लंच, डिनर या चाय पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारी से मैन्यू निर्धारित कराना होगा और तद्नुसार निर्धारित खाद्य सामग्री निश्चित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी। कैंटीन ठेंकेदार को एक निश्चित सारणी/रूप–रेखा के अनुसार प्रतिदिन सभी कार्यदिवसों में या दिये गये आदेशानुसार साप्ताहिक या अन्य अवकाश एवं विभिन्न आयोजनों के दिनों में जब पूरा या अधिकांश स्टाफ बुलाया गया हो, प्रातः 09.00 बजे से सांय 05.30 बजे तक कैंटीन सेवा देनी होगी।

23. कैंटीन ठेंकेदार को राष्ट्रीय बाल भवन की सम्पत्ति एवं दी गई कैंटीन की सुरक्षा करनी होगी। दी गई कैटिन में कैटीन ठेंकेदार अपनी स्वेच्छा से कोई तोड़–फोड़/परिवर्तन नहीं करेगा और न ही किसी सम्पत्ति व परिसर को नुकसान पहुंचायेगा अन्यथा ऐसा पाये जाने पर नुकसान की भरपाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार की जायेगी।

24. रा.बा.भ. की कैंटीन को अन्य पार्टियों, दुकानों और कैंटीनों के लिए निर्माण स्थल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कैंटीन ठेकेदार को राष्ट्रीय बाल भवन के बाहर से ऑर्डर्स नहीं लेने होंगे और न ही रा.बा.भ. के बाहर खाद्य पदार्थ सप्लाई करने होंगे।

**मैंने/ हमने उपरोक्त सभी नियमों और शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है और यह हमें यह स्वीकार्य हैं।**

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ..................................................
व फर्म की मुहर

स्वामी/ अधिकृत हस्ताक्षरी का पूरा नाम, ..................................................
पता व मोबाईल नं.(स्पष्ट अक्षरों में) ..................................................
(स्पष्ट अक्षरों में) ..................................................

अनुलग्नक –II

## राष्ट्रीय बाल भवन में कैंटीन चलाने के लिए अनुबंध के लिए टेंडर फॉर्म

सेवा में

निदेशक,
राष्ट्रीय बाल भवन,
कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002.

विषयः राष्ट्रीय बाल भवन में एक वर्ष की अवधि हेतु कैंटीन चलाने के लिए सील्ड टेंडर जमा करने हेतु आवेदन।

महोदय/महोदया,

मैं राष्ट्रीय बाल भवन में एक वर्ष की अवधि हेतु कैंटीन चलाने के लिए सील्ड टेंडर जमा करने हेतु आवेदन कर रहा हूं जिसके लिए आवश्यक जानकारी निम्नलिखित हैः–

| क्रम सं. | आवश्यक जानकारी | कैंटीन ठेंकेदार द्वारा दी गई जानकारी | संलग्न साक्ष्य/प्रूफ की पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | कैंटीन ठेंकेदार/फर्म का स्वामी का नाम | | |
| 2. | फर्म का नाम | | |
| 3. | फर्म का पूरा पता | | |
| 4 | मोबाईल नं. एवं ई.मेल आई.डी. | | |
| 5 | फर्म की स्थापना का वर्ष | | |
| 6 | फर्म का सक्षम प्राधिकारी द्वारा फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र | | |
| 7 | फर्म का परमानेंट एकाउंट नम्बर(पैन) | | |
| 8 | फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व टीन नम्बर | | |
| 9. | एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा जमा की गई रू.10,000/–की बयाना/ई.एम.डी राशि का संदर्भ | | |

| 10. | कैंटीन के पिछले व अभी चल रहे कैंटीन अनुबंध का विवरण(कृपया सम्बन्धित कार्यालय से संतोषजनक कैंटीन संचालन का प्रमाणपत्र दें) | | |
|---|---|---|---|
| क्रम सं. | उन कार्यालयों का नाम व पता जहां अभी तक पिछली अवधि व अभी कैंटीन चलाई जा रही है। | कैंटीन अनुबंध की अवधि | कार्यालय का स्टेटस–सरकारी / अर्ध–सरकारी / पी. एस.यू. / सरकारी अनुदान प्राप्त / स्वायत्त संस्थान |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दी गई सभी जानकारियां पूरी तरह से सही और सत्य हैं और मुझेध्हमें टेंडर के सभी प्रतिबंध एवं शर्तों स्वीकार हैं और हम इनका पालन करेंगे। साथ ही यह प्रमाणित/ घोषित किया जाता है कि मैं/हम राष्ट्रीय बाल भवन में कैटीन के लिए हमारे द्वारा दी गई सर्वोच्च किराये की राशि और खाद्य पदार्थों के न्यूनतम रेट के आधार पर कैंटीन चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं।

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ....................................................
व फर्म की मुहर

स्वामी/ अधिकृत हस्ताक्षरी का पूरा नाम, ....................................................
पता व मोबाईल नं. ....................................................
(स्पष्ट अक्षरों में) ....................................................

अनुलग्नक –III

| कैंटीन ठेंकेदार द्वारा कैंटीन के स्थान के लिए उद्धत किये जाने वाले मासिक किराये की राशि का प्रौफॉर्मा | |
|---|---|
| | कैंटीन ठेंकेदार उद्धत की गई कैंटीन के मासिक किराये की राशि |
| कैंटीन के स्थान के लिए उद्धत किये जाने वाले मासिक किराये की राशि रू............................ प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए | उद्धत राशि अंकों में–रूपये....................................प्रति माह<br>उद्धत राशि शब्दों में–<br>रूपये''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''केवल |

| कैंटीन ठेंकेदार द्वारा विभिन्न खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए दिये जाने वाले रेट का प्रौफॉर्मा | | |
|---|---|---|
| कम सं. | कैंटीन ठेंकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली खाद्य सामग्रियों का विवरण | उद्धत किये गये न्यूनतम रेट |
| 1. | चाय (डिस्पोजेबल कप में ) 100 मि.ली. प्रति कप | |
| 2. | टी बैग वाली चाय/स्पेशल चाय (थर्मोकोल कप में ) 100 मि.ली. प्रति कप | |
| 3. | कॉफी (थर्मोकोल कप में ) 100 मि.ली. प्रति कप | |
| 4. | टमाटर सूप (डिस्पोजेबल कप में ) 100 मि.ली. प्रति कप | |
| 5. | समोसा (80 ग्राम) चटनी/सॉस के साथ प्रति पीस | |
| 6. | वेजिटेबल/ पनीर पकोड़ा (100 ग्राम प्रति पीस) प्रति पीस | |
| 7. | बौंडा. 100 ग्राम का प्रति पीस | |
| 8. | मौसमी सब्जियों के मिक्स पकौड़े(150 ग्राम प्रति प्लेट) प्रति प्लेट | |
| 9. | ब्रेड पकोड़ा(100 ग्राम) चटनी/सॉस के साथ प्रति पीस | |
| 10. | ब्रेड रोल (100 ग्राम) चटनी/सॉस के साथ प्रति पीस | |
| 11. | मट्ठी (40 ग्राम) प्रति पीस | |
| 12. | पैटी चटनी/सॉस के साथ प्रति पीस | |
| 13. | बर्गर (कटलेट व सब्जी सहित) स्टेंडर्ड साईज का प्रति पीस | |
| 14. | छोले/सब्जी 120 ग्राम और चार पूड़ी प्रति प्लेट | |
| 15. | छोले/सब्जी 120 ग्राम और दो कचौड़ी प्रति प्लेट | |
| 16. | वेजिटेबल सैंडविच चटनी/सॉस के साथ प्रति पीस | |
| 17.. | वेजिटेबल भरवां परांठा दही या चटनी के साथ प्रति पीस | |
| 18. | साम्भर वडा( 50 ग्राम प्रति के दो पीस) प्रति प्लेट | |
| 19. | साम्भर इडली ( 50 ग्राम प्रति के दो पीस) प्रति प्लेट | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20** | Idli with samber( 2 piece with Sambhar and Chutney) | 1 plate | |
| **21** | Uttapam- 150 gm with samber and Chutney | 1 piece | |
| **22** | Upma -150 gam. | 1plate | |
| **23** | Two Bhature (100 gm. Each), with chole & pickles | 1 plate | |
| **24.** | Chowmine 200 gram in each plate | 1 Plate | |
| **25.** | Pasta 200 gram in each plate | 1 Plate | |
| **26** | Gulab Jamun/Rasgulla (50 gm each) | 1 piece | |
| **27.** | Moti Chur Laddu/Besan Laddu/ Besan Burfi/Balushahi | 1 piece of 50 gram | |
| | **Thali:** | | |
| **28** | One dal +one subji + raita + 4 roti +Salad | Each thali | |
| **29** | One dal + one subji + raita + 2 roti+ 125gm. Rice+Salad | Each thali | |
| **30** | One dal +one subji + raita + 250gm rice+Salad | Each thali | |
| | **Special lunch (with following items)..........................** | **Each Thali** | |
| **31** | One Paneer Dish+Dal or Dal Makhni+Vegetable Pulao/Vegetable Biryani+One Seasonal Vegetable+Dahi/Raita+Papad+Pickle+2Roti/ 2Nan/2 Prantha+One piece Gulab Jamun/ Rasgulla+Fresh Vegetable Salad | Each Plate/Pack | |

**<u>CONDITIONS:</u>**

1. Only good and standard quality of eatble material, Ghee and oil etc. approved by the auhorized Govt. Agency, has to be used and provided which should have AGMARK or ISI mark.
2. A detailed/complete Rate List of all the eatable items with L-1 rates and specifications in visibly suitable size has to be displayed in the canteen.
3. The canteen contractor shall has to inspect the items to be used for preparing of eatables before preparation of eatable item to the Committee of NBB, constituted for inspection of Canteen. Canteen Contractor should always be ready for inspection of canteen by the Committee.

4. Cold Drink, mineral water and packed snacks/namkeen, biscuits, other packed items etc. should be of good brands/quality of reputed firms and provided on MRP printed on packets. Eatables of low Quality and local brands would not be permitted in the Canteen.

Dated: Signature of authorized sisgnatory :..................................
with Seal of firm/Co.

Full name, address & Mobile :..................................
No. of authorized signatory ..................................
(In Captal/Block letters) ..................................